

प्रतस्पर्द्धा (संशोधन) वधियक, 2022

प्रलिस के लयि:

भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI), प्रतस्पर्द्धा अधनियम, 2002, राष्ट्रिय कंपनी कानून न्यायाधकिरण (NCLT) ।

मेन्स के लयि:

बाज़ार की बदलती गतशीलता के कारण प्रतस्पर्द्धा आयोग का महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वन (संरक्षण) संशोधन वधियक, 2023 संसद में पेश कयि जाने के साथ ही [प्रतस्पर्द्धा \(संशोधन\) वधियक, 2022](#), जसिकी सहायता से प्रतस्पर्द्धा अधनियम, 2002 में संशोधन कयि जाना है, को वपिक्ष द्वारा वरिध कयि जाने के बावजूद [नचिले सदन](#) में पारति कर दयि गया ।

प्रतस्पर्द्धा अधनियम, 2002:

- प्रतस्पर्द्धा अधनियम, 2002 भारतीय बाज़ार में प्रतस्पर्द्धा को नयितरति करता है और प्रतस्पर्द्धा पर प्रतकूल प्रभाव डालने वाले गैर-प्रतस्पर्द्धी प्रथाओं जैसे- कार्टेल, प्रमुख बाज़ार स्थति का दुरुपयोग एवं वलिय तथा अधगिरहण को प्रतबिधति करता है ।
 - भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI) इस अधनियम को लागू करने और क्रयानवयन हेतु उत्तरदायी है ।
 - प्रतस्पर्द्धा अपील अधकिरण एक वैधानकि नकिया है जसि प्रतस्पर्द्धा अधनियम, 2002 के अनुसार भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग द्वारा कसि भी नयिम, नरिणय अथवा आदेशों के खलिफ अपील सुनने और वनियमति करने हेतु बनाया गया है ।
 - सरकार ने वर्ष 2017 में प्रतस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधकिरण की जगह [राष्ट्रीय कंपनी वधि अपीलीय न्यायाधकिरण \(National Company Law Appellate Tribunal- NCLAT\)](#) का गठन कयि था ।

प्रतस्पर्द्धा अधनियम में प्रस्तावति संशोधन:

- प्रतस्पर्द्धा कानून के उल्लंघन के लयि दंड:
 - वधियक "टर्नओवर" की परभाषा में संशोधन करता है ताक कसि वयक्तिया उद्यम के सभी उत्पादों एवं सेवाओं को वैश्वकि कारोबार में शामिल कयि जा सके ।
 - यह संशोधन कसि कंपनी पर न केवल भारत में उसके कारोबार के आधार पर अपति वैश्वकि कारोबार के आधार पर प्रतस्पर्द्धा कानून के उल्लंघन के लयि जुर्माना लगाने की अनुमतदिता है ।
- संयोजनों को अनुमोदति करने की समय-सीमा:
 - वधियक ने CCI के लयि संयोजन पर प्रथम दृष्टया राय बनाने की समय-सीमा को 30 कार्य दविस के स्थान पर 30 दनि कर दयि है ।
 - इस परविरतन का उद्देश्य भारत में वलिय एवं अधगिरहण को मंजूरी देने की प्रक्रया को गति देना है ।
- वनियमों की समीक्षा:
 - वधियक में प्रतस्पर्द्धा अधनियम, 2002 में संशोधन करने का प्रयास कयि गया है, जसिसेलेन-देन के मूल्य के आधार पर वलिय एवं अधगिरहण को वनियमति कयि जा सके । 2,000 करोड रुपए से अधिक के लेन-देन मूल्य वाले सौदों के लयि CCI की मंजूरी की आवश्यकता होगी ।
 - वधियक में CCI के लयि इस तरह के लेन-देन पर आदेश पारति करने की समय-सीमा को 210 दनि से घटाकर 150 दनि करने का प्रस्ताव है ।
 - वधियक इस अधनियम के तहत कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है औस्सज़ा की प्रकृति को जुर्माने से सविलि दंड में परविरतति करता है ।
 - इन अपराधों में CCI के आदेशों और प्रतस्पर्द्धा वरिधी समझौतों से संबंधति महानदिशक के नरिदेशों का पालन करने में वफिलता एवं प्रमुख स्थति का दुरुपयोग शामिल है ।

प्रतस्पर्द्धा (संशोधन) वधियक का लाभ:

■ ईज़ ऑफ डूइंग बज़िनेस को बढ़ावा:

- प्रतस्पर्द्धा अधनियिम में संशोधन का उद्देश्य नयिमक बाधाओं को कम करना और भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बज़िनेस (व्यापार करने में आसानी) को बढ़ावा देना है। इन संशोधनों से भारत में संचालित व्यवसायों की स्थितिको अधिक स्पष्टता मलिन और कंपनयिों के लयि अनुपालन बोझ कम होने की उम्मीद है।

■ पारदर्शति में वृद्धि:

- 'टर्नओवर' की परभिषा में वैश्वकि कारोबार को शामिल करने का उद्देश्य भारतीय बाज़ार में पारदर्शति और जवाबदेही को बढ़ाना है। संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि कंपनयिों अपने राजस्व को अन्य देशों में स्थानांतरति करके प्रतस्पर्द्धा कानून के उल्लंघन हेतु दंड से बच नहीं सकती हैं।

वन (संरक्षण) संशोधन वधियक, 2023:

- वधियक का उद्देश्य भारत के वन संरक्षण कानून और सामरिक और सुरक्षा संबंधी परयोजनाओं में स्पष्टता लाना है।
- यह वधियक वभिन्न प्रकार की भूमि पर वन (संरक्षण) अधनियिम, 1980 की परयोज्यता के दायरे को स्पष्ट करने का प्रयास करता है।
- इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अतिरिक्त 2.5-3.0 बलियन टन CO2 समतुल्य कार्बन सकि के नरिमाण के लयि वन आवरण को बढ़ाने के भारत के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अधनियिम के दायरे को व्यापक बनाना है।
- वधियक अधनियिम के संरक्षित शीर्षक को वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधनियिम, 1980 कहा जाता है।
- इस वधियक में वनों और उनकी जैववधितता के संरक्षण की देश की समृद्ध परंपरा को अधनियिम की प्रस्तावना में शामिल करने का प्रस्ताव है।
- अधनियिम के दायरे से भूमिकी कुछ श्रेणयिों को छूट देने के लयि वधियक में संशोधन कयिा गया है जिसमें नमिनलखिति शामिल हैं:
 - रेलवे लाइन के साथ स्थति वन भूमिया सरकार द्वारा अनुरक्षति सार्वजनकि सड़क जो आवास, या रेल तक पहुँच प्रदान करती है के साथ ही अधिकतम 0.10 हेक्टेयर तक सड़क के कनारे सुवधिा प्रदान करना।
 - अंतरराष्ट्रीय सीमाओं या नयित्रण रेखा या वास्तवकि नयित्रण रेखा के साथ 100 कलिमीटर की दूरी के भीतर स्थति वन भूमिा राष्ट्रीय महत्त्व की रणनीतिक रैखकि परयोजनाओं के नरिमाण और राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु प्रस्तावति है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/competition-amendment-bill-2022>

